राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/07/388-B/2020

बड़ौदा यू.पी. बैंक के साथ दिनांक 07.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर, अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक
5. श्री अरूण कुमार त्रिपाठी, मुख्य प्रबंधक, बड़ौदा यू.पी. बैंक

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में सभी पदों में ओबीसी का प्रतिनिधि 27% से कम क्यों है, जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक ने बताया कि यह पूरी स्ट्रैंथ में ओबीसी का प्रतिशत है, ओबीसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मे 27% से कम नहीं है।
2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में बताया है कि The OBC candidate who selected on their own merit may be excluded, क्या इसका अलग से डाटा लायें है जिसके उत्तर में मुख्य प्रबंधक ने बताया कि सर ऐसे की अलग से डाटा नहीं लायें हैं। माननीय आयोग द्वारा मुख्य प्रबंधक को इसका कारण शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिये कहा।
3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में ओबीसी का लाईसन ऑफिसर कौन है, जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश कुमार ओझा, ओबीसी वर्ग के लाईसन ऑफिसर हैं जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं। वहीं दिव्यांग के भी लाईसन ऑफिसर हैं उन्हे

दोनों वर्गों का लाईसन ऑफिसर बनाया है। आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी का अलग लाईसन ऑफिसर क्यों नहीं बनाया गया जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उन्हें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी।

4. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि डीएफएस ने बड़ौदा यू.पी. बैंक को ओबीसी वर्ग के लिये अलग से लाईसन ऑफिसर बनाने के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये है, यह जानकारी आप शपथ-पत्र पर लिखकर आयोग को उपलब्ध करायें।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में रोस्टर रि-कास्टिंग कितनी बार किया गया है, जिसके जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि रोस्टर रि-कास्टिंग प्रत्येक वर्ष किया जाता है जिसपर माननीय आयोग ने कहा कि आप यह स्टेटमेंट शपथ-पत्र पर आयोग को दीजिये।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या बड़ौदा यू.पी. बैंक का रोस्टर रजिस्टर वित्त मंत्रालय द्वारा सत्यापित है? जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक ने बताया कि रोस्टर रजिस्टर वित मंत्रालय द्वारा सत्यापित नहीं है।
7. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षात्कार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से अलग दिनांक और समय पर कराया जाता है यह जानकारी आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध करायें।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में कुल कितने ब्रांच मैनेजर हैं? जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कुल 1983 ब्रांच है। माननीय आयोग ने पूछा कि 1983 ब्रांच में कुल कितने

ओबीसी वर्ग के ब्रांच मैनेजर है? जिसके जवाब में अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह चैक कर आयोग को उपलब्ध करा देंगे।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिये कोई योजना चलाई जा रही है, जिसके जवाब में अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह सभी के लिये होता है किसी खास वर्ग के लिये अलग से योजना नहीं है।
10. आयोग द्वारा बड़ौदा यू.पी. बैंक के अमलगामेशन से 6 महीने पहले के सभी बैंकों के रोस्टर रजिस्टर व अमलगामेशन के बाद का बड़ौदा यू.पी. बैंक का रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाये।

उपरोक्त अपेक्षित सभी जानकारी आयोग को 7 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाये।

(श्री अरूण कुमार त्रिपाठी)
मुख्य प्रबंधक, बड़ौदा यू.पी. बैंक

(श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर)
अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/07/388-B/2020

बड़ौदा यू.पी. बैंक के साथ दिनांक 23.11.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री संजीव चड्डा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा
4. श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर, अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक
5. श्री अमोल कुमार अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक, बड़ौदा यू.पी. बैंक

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक के अधिकारियों द्वारा आरक्षण संबंधी जो गलतियों की गई है उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अवगत कराया जाए।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में ग्रुप 'सी' और 'डी' में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके जवाब में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में ग्रुप 'सी' और 'डी' में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा 100 प्वाइंट माड्ल रोस्टर को कार्यान्वयन करने का नियम आयोग को उपलब्ध कराया जाये और पूछा गया कि 200 प्वाइंट माड्ल रोस्टर और 100 प्वाइंट माड्ल रोस्टर में क्या अंतर होता है। जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि 200 प्वाइंट माड्ल रोस्टर में एससी का 15%, एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27% आरक्षण होता है और 100 प्वाइंट माड्ल रोस्टर में एससी का 21%, एसटी का 1% और ओबीसी का 27% होता है।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक के ग्रुप 'सी' और 'डी' के रिक्रूटमेंट के लिये क्या लोकल रिक्रूटमेंट करते है। जिसके जवाब में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि रिक्रूटमेंट आईबीपीएस द्वारा किया जाता है।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि अगर आईबीपीएस प्राइवेट संस्थान है तो क्या सिंगल संस्थान को ही टेंडर देते है। जिसके जवाब में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि हम आईबीपीएस को ही टेंडर देते है, क्योंकि आईबीपीएस एक बैंक बॉडी है।
6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि माड्ल रोस्टर के अनुसार निर्धारित बिन्दुओं पालन क्यों नहीं कर रहे है। जिसके जवाब में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि निर्धारित बिन्दु का पालन होता है और इससे संबंधित जानकारी आयोग में भिजवा देंगे।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक के रोस्टर रजिस्टर में ओबीसी के लिए निर्धारित बिन्दु पर अन्य केटेगरी के उम्मीदवार की नियुक्ति की गई है क्या इसको स्वापिंग ऑफ पोस्ट नहीं कहा जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा आयोग को बताया गया कि बड़ौदा यू.पी. बैंक में वर्ष 1993 से वर्ष 2010 के मध्य लगभग 20 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। आयोग द्वारा कहा गया कि यह रोस्टर रजिस्टर वर्ष 2014-15 का है। इस संबंध में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्ष 2010 के बाद रिक्रूटमेंट हुआ है।
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि आपके कंडक्ट रूल क्या है, आपके बैंक के बोर्ड में कौन-कौन नोमिनी है और एनुअल रिपोर्ट कहा से पास होती है। जिसके जवाब में अध्यक्ष, बड़ौदा यू.पी. बैंक द्वारा बताया गया कि बोर्ड में आरबीआई और नाबार्ड नोमिनी है और एनुअल रिपोर्ट बोर्ड द्वारा पास होती है। एक नाबार्ड का फॉर्मेट है उसी के फॉर्मेट पर एनुअल रिपोर्ट बनायी जाती है।

9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा ओबीसी के बिन्दु पर गलत रिक्रूटमेंट किया गया है और बड़ौदा यू.पी. बैंक के रोस्टर रजिस्टर में जो गलतियां हुई है उनको सुधार कर 1 सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री अमोल कुमार अग्रवाल)
मुख्य प्रबंधक,
बड़ौदा यू.पी. बैंक

(श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर)
अध्यक्ष,
बड़ौदा यू.पी. बैंक

(श्री संजीव चड्डा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बैंक ऑफ बड़ौदा

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग